

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 22/5/19

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण हेतु रु. 566.0135 लाख (रु. पाँच करोड़ छियासठ लाख एक हजार तीन सौ पचास मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-23/03.12.10, 47/07.03.11, 39/19.03.13, 12/11.06.18, 78/11.03.19, 16/13.02.10, 39/19.03.13 एवं 65/13.12.17,

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना / 18 - चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796180545	566.0135

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ छियासठ लाख एक हजार तीन सौ पचास मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलो के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 1325.00 लाख (₹ तेरह करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-2

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-13 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 22.5.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-


39

राँची, दिनांक :-

22/5/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/चाईबासा/दुमका/पाकुड़/साहेबगंज सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 22.5.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-


39

राँची, दिनांक :-

22/5/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-2


(अरुण कुमार सिंह) 22.5.19
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक - 39

/संघी, दिनांक - 22/5/19

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियध्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोग, जन

उपशीर्ष - 18-चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विरुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50S470200796180545

बजट उपबंध (वर्ष 2019-20) रु. 1325.00 लाख (लेख करोड़ पच्चीस लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, सौदी (RNCMR001)	सँदी	सिल्ली	जोवला नाला पर श्रृं. चेकडैम	23/03.12.10 & 65/13.12.17 Online A.A-1749/13.12.17	62.24800	49.38800	0.00000	7.00000	7.00000	56.38800	27505	
2		सँदी	सिल्ली	मंडरा नाला श्रृं. चेकडैम		510.00000	450.00000	0.00000	3.50000	3.50000	453.50000		
3		सँदी	सिल्ली	आमवह नाला पर श्रृं. चेकडैम		215.09900	160.96500	0.00000	1.75000	1.75000	162.71500		
4		सँदी	कौके	पोटपोटो नाला पर श्रृंखलावद्ध चेकडैम		340.62800	241.41100	0.00000	17.71000	17.71000	259.12100		
5		सँदी	कौके	काटमकुली नाला पर श्रृंखलावद्ध चेकडैम	47/07.03.11 & 65/13.12.17 Online A.A-1749/13.12.17	256.00900	251.44300	0.00000	4.00000	4.00000	255.44300		
6		सँदी	कौके	चामगुरु नाला पर चेकडैम का निर्माण		44.73400	37.13100	0.00000	6.61900	6.61900	43.75000		
7		सँदी	चान्हो	वैरिया (खडबन्दी) नाला पर विरसा चेकडैम का निर्माण		23.53000	17.42400	0.00000	5.00000	5.00000	22.42400		
8		सँदी	चान्हो	ओपा नाला पर चेकडैम निर्माण		30.40200	22.24100	0.00000	7.00000	7.00000	29.24100		
9		सँदी	सिल्ली	लोवादाग नाला पर श्रृं. चेकडैम		312.01000	184.02000	0.00000	40.00000	40.00000	224.02000		
10		सँदी	नगडी	मलार नाला पर श्रृं.चेकडैम सं०-2		290.86300	172.42400	0.00000	60.00000	60.00000	232.42400		
11		सँदी	नगडी	देवरी एवं केसरी नाला पर श्रृ.चेकडैम		152.83000	113.76000	0.00000	30.00000	30.00000	143.76000		
12		सँदी	नगडी	कोयल नदी पर श्रृ.चेकडैम संख्या-3		257.34700	104.56000	0.00000	40.00000	40.00000	144.56000		
13		सँदी	नगडी	कोयल नदी पर चेकडैम का निर्माण संख्या-4		193.25300	166.68800	0.00000	10.00000	10.00000	176.68800		
14	सँदी	अनगडा	रुसुजारा बीवर से मुदागम सिंचाई नाला का निर्माण	12/11.06.18 Online A.A-650/12.06.18	161.10000	19.03000	0.00000	100.00000	100.00000	119.03000	27511		
				योग		2850.05300	1990.48500	0.00000	332.57900	332.57900	2.323.06400		

(सजोन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूरा)
विशेष सचिव(आर.एस. तिना)
अभियंता प्रमुख-2(अरुण कुमार सिंह) 22.5.19
अपर मुख्य सचिव

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खुँटी (RNCIRK01)	राँची	बुण्डू	लोटेहालु मध्यम सिंचाई योजना	78/11.03.19 Online A-A-2335/11.03.19	153.76500	40.39650	0.00000	113.36850	113.36850	153.76500	27513	(माननीय ए.एन. न्यायधीन सिविल कोर्ट सेबी द्वारा पत्रित न्यायदेश (L.A Case Reference No.- 893/993.10/93.11/93.12/95.13/93 and 14/93))	
योग														
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा (SGHMIR002)	प० सिंहभूम	चक्रधरपुर	डुकरी नाला पर चैकडैम	39/19.03.13 & 65/13.12.17 Online A-A-1749/13.12.17	153.76500	40.39650	0.00000	113.36850	113.36850	153.76500	27506		
2		प० सिंहभूम	चक्रधरपुर	कुमुंछा नाला पर चैकडैम		41.56400	29.96353	0.00000	6.00000	6.00000	35.96353			
3		प० सिंहभूम	चाईबासा सदर	हरिला नाला पर चैकडैम		37.62900	29.19088	0.00000	6.50000	6.50000	35.69088			
4		प० सिंहभूम	खुटपानी	बोका नाला पर चैकडैम		49.08000	40.71287	0.00000	4.15000	4.15000	44.86287			
5		प० सिंहभूम	चाईबासा सदर	गुनवासा नाला पर चैकडैम निर्माण		42.89000	38.58970	0.00000	1.50000	1.50000	40.08970			
6		प० सिंहभूम	टेन्ले	सानडीक पानी नाला पर चैकडैम निर्माण		42.23200	34.03411	0.00000	5.20000	5.20000	39.23411			
7		प० सिंहभूम	चाईबासा सदर	बड़दार नाला पर चैकडैम निर्माण		50.32200	36.96609	0.00000	8.40000	8.40000	45.36609			
8		प० सिंहभूम	चक्रधरपुर	गुलकानी नाला पर चैकडैम निर्माण		78.41600	55.20083	0.00000	3.40000	3.40000	58.60083			
9		प० सिंहभूम	चक्रधरपुर	विन्दा सरगम नाला पर चैकडैम निर्माण		63.10600	60.62080	0.00000	2.00000	2.00000	62.62080			
योग						48.11600	30.10291	0.00000	3.00000	3.00000	33.10291			
योग														
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMIR001)	दुमका	कालीकुंड	ईरो नाला पर श्रृं० चैकडैम	47/07.03.11 & 65/13.12.17 Online A-A-1749/13.12.17	453.35500	355.38172	0.00000	40.15000	40.15000	395.53172	27507		
2		दुमका	दुमका	पोदाईडीह नाला जोरिया पर चैकडैम		183.08000	153.24600	0.00000	8.9040	8.90400	162.15000			
3		दुमका	दुमका	पताईथान जोरिया नाला पर चैकडैम		50.64000	39.98000	0.00000	5.3230	5.32300	45.30300			
4		दुमका	दुमका	सिंहनी जोरिया नाला पर चैकडैम		48.66000	41.94000	0.00000	5.3230	5.32300	47.26300			
5		दुमका	दुमका	ठाढ़ी जोरिया नाला पर चैकडैम		48.87000	39.79000	0.00000	5.3230	5.32300	45.11300			
6		दुमका	दुमका	बाकडीह जोरिया नाला पर चैकडैम		50.23000	38.03000	0.00000	5.3230	5.32300	43.35300			
7		दुमका	दुमका	भुशीसीमता जोरिया नाला पर चैकडैम		50.65000	38.14000	0.00000	5.3230	5.32300	43.46300			
8		दुमका	दुमका	दुमुहानी नाला पर चैकडैम निर्माण		49.84000	36.27300	0.00000	5.3230	5.32300	41.59600			
योग						179.29000	147.62000	0.00000	5.3230	5.32300	152.94300			
योग						661.24000	535.01900	0.00000	46.16500	46.16500	581.18400			

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(आर.एच. तिगा)
अभियंता प्रमुख-2(अरुण कुमार सिंह/22-5-19)
अपर मुख्य सचिव

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अखतान आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMAR001)	पाकुड़	महेशपुर	गणेशपुर नाला पर श्रृं चेकडैम	16/13.02.10 & 65/13.12.17 Online A.A-1749/13.12.17	218.21000	167.80000	0.00000	10.62000	10.62000	178.42000	27508	
योग						218.21000	167.80000	0.00000	10.62000	10.62000	178.42000		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज (SBMIR001)	साहेबगंज	राजमहल	हेमा नाला पर श्रृं चेकडैम निर्माण	16/13.02.10 & 65/13.12.17 Online A.A-1749/13.12.17	107.26200	60.31200	0.00000	11.55400	11.55400	71.86600	27510	
2		साहेबगंज	राजमहल	गम्हरिया नाला पर श्रृं चेकडैम निर्माण		145.32500	67.58900	0.00000	11.57700	11.57700	79.16600		
योग						252.58700	127.90100	0.00000	23.13100	23.13100	151.03200		
कुल योग						4589.21000	3216.98322	0.00000	566.01350	566.01350	3782.99672		
आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ छियासठ लाख एक हजार तीन सौ पचास मात्र।													

अवधि राशि - ₹ पाँच करोड़ छियासठ लाख एक हजार तीन सौ पचास मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिनाग)
अभियंता प्रमुख-2

(अरुण कुमार सिंह) 20.5.19
अपर मुख्य सचिव

३९
०२/५/१९